उत्तर प्रदेश सरकार
शिक्षा (2) अनुभाग

संख्या : 3353/15-2-85-100-72

लखनऊ, 2 जुलाई, 1985
अधिसूचना
विविध

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा (समूह-क) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा (समूह-क) सेवा नियमावली, 1985

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा (समूह-क) सेवा नियमावली, 1985 कही जायगी।
   (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा (समूह-क) सेवा एक राज्य सेवा है जिसमें समूह "क" के सेवा की प्रास्थिति पद समाविष्ट है।

परिभाषायें

3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में :
   (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य राज्यपाल से है;
   (ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;
   (ग) "आयोग" का तात्पर्य लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से है,
   (घ) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है;
   (ङ) "उपाधि महाविद्यालय" (डिग्री कालेज) का तात्पर्य किसी ऐसे संबद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय से है जो प्रथम उपाधि स्तर तक शिक्षा प्रदान करने के लिये अनन्य रूप से सरकार द्वारा पोषित हो;
   (च) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;
   (छ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;
   (ज) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;
   (झ) "स्नातकोत्तर महाविद्यालय" (पोस्ट ग्रेजुएट कालेज) का तात्पर्य किसी ऐसे संबद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय से है जो न किसी एक या अधिक विषयों या संकायों में स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षा प्रदान करने के लिय अनन्य रूप से सरकार द्वारा पोषित हो;
   (ञ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा (समूह-क) सेवा से है;
   (ट) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई

नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो;

(ठ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारंभ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग-दो-संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य-संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा में निम्नलिखित श्रेणियां और प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत निम्नलिखित पद होंगे, परन्तु राज्यपाल श्रेणियों और पदों के नाम में उपान्तर कर सकते हैं जैसा वह उचित समझे।

श्रेणी	पदनाम	
एक	उच्चतर शिक्षा निदेशक	1
दो	(क) प्राचार्य, स्नातकोत्तर महाविद्यालय।	18
	(ख) संयुक्त निदेशक, उच्चतर शिक्षा	1
	(ग) महाविद्यालय विकास अधिकारी	1
तीन	(क) उपाधि महाविद्यालय के प्राचार्य	30
	(ख) संभागीय, उच्चतर शिक्षा अधिकारी	2
	(ग) उप निदेशक, उच्चतर शिक्षा	1
चार	(क) आचार्य	67
	(ख) सहायक आचार्य	27
	(ग) सहायक निदेशक उच्चतर शिक्षा	2
	(घ) उपाधि विभाग के अध्यक्ष	151
पांच	(क) ज्येष्ठ प्राध्यापक	50
	(ख) सहायक उपनिदेशक, उच्चतर शिक्षा	2
	(ग) प्राध्यापक	900

टिप्पणी : एतद्पश्चात आचार्य, सहायक आचार्य, उपाधि विभाग के अध्यक्ष या ज्येष्ठ प्राध्यापक के पदनाम से कोई नई नियुक्तियां नहीं की जायेगी और इन पदनामों के अन्तर्गत वर्तमान पदों को, यदि उनमें रिक्तियां हों, केवल प्राध्यापकों को नियुक्त करके ही भरा जायगा। वे व्यक्ति जो 30 नवम्बर, 1977को इनमें से कोई पद धारित किये हों, उसी रूप में बने रहेंगे और उनका उस दिनांक को उनके द्वारा धृत पद का नाम वैयक्तिक पदनाम के रूप में बना रहेगा भले ही उनका उसी वेतनमान में किसी भिन्न पदनाम के पद पर बाद में स्थानान्तरण हो जाय। तथापि, इसमें दी गई कोई बात राज्यपाल को इन पदों में से किसी पद पर भविष्य में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में उपर्युक्त पदनामों को पुनः प्रवर्तित करने से न रोकेगी।

भाग तीन-भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :-

श्रेणी-एक उच्चतर शिक्षा निदेशक नियम 4(2) की श्रेणी-दो के सेवा के सदस्यों में से योग्यता के आधार पर विभागीय चयन समिति के माध्यम से चयन द्वारा।

श्रेणी-दो (क) प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, संयुक्त निदेशक उच्चतर शिक्षा और महाविद्यालय विकास अधिकारी।

नियम 4(2) की श्रेणी-तीन में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों में से योग्यता के आधार पर विभागीय चयन समिति के माध्यम से चयन द्वारा पदोन्नति।

श्रेणी तीन (क) प्राचार्य उपाधि महाविद्यालय

प्राचार्य राजकीय उपाधि महाविद्यालयों के समस्त पद नियम 4(2) की श्रेणी चार में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों में से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के सिद्धांत पर, विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे :

परन्तु यदि प्राचार्य के पद पदोन्नति के लिए श्रेणी चार का कोई उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो श्रेणी पांच के और यदि श्रेणी पांच का कोई उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो श्रेणी छः के अभ्यर्थियों के संबंध में विचार किया जा सकता है।

(ख) संभागीय उच्चतर शिक्षा अधिकारी

श्रेणी तीन (क) और तीन (ग) में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों में से स्थानान्तरण द्वारा।

(ग) उप निदेशक, उच्चतर शिक्षा

श्रेणी तीन (क) और तीन (ख) के अधिकारियों में से स्थानान्तरण द्वारा।

श्रेणी चार (क) आचार्य

एतद् पश्चात् आचार्य के पद पर कोई नई नियुक्ति नहीं की जायेगी।

(ख) सहायक आचार्य

एतद् पश्चात् सहायक आचार्य के पद पर कोई नई नियुक्ति नहीं की जायेगी।

(ग) सहायक निदेशक उच्चतर शिक्षा

श्रेणी चार (क) और श्रेणी चार (ख) के अधिकारियों में से स्थानान्तरण द्वारा और जब इस पद पर नियुक्ति के लिये श्रेणी चार (क) और चार (ख) का कोई अधिकारी उपयुक्त न पाया जाय, तब श्रेणी पांच या छः के किसी अधिकारी के संबंध में विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसे अधिकारी को राजकीय उपाधि या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 15वर्ष के अध्यापन का अनुभव हो।

श्रेणी पांच उपाधि विभाग के अध्यक्ष

एतद्पश्चात् विभाग के अध्यक्ष के पद पर कोई नई नियुक्ति नहीं की जायगी।

श्रेणी छः (क) ज्येष्ठ प्राध्यापक

एतद्पश्चात ज्येष्ठ प्राध्यापक के पद पर कोई नई नियुक्ति नहीं की जायेगी।

(ख) सहायक उप निदेशक

श्रेणी छः (क) के अधिकारियों में से स्थानान्तरण द्वारा और जब श्रेणी छः (क) का कोई उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हो, तब श्रेणी छः (ग) के किसी अधिकारी के संबंध में विचार किया जा सकता है बशर्ते कि ऐसे अधिकारी को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 10 वर्ष के अध्यापन का अनुभव हो।

(ग) प्राध्यापक

आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

आरक्षण

6. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायगा।

भाग-चार अर्हतायें

राष्ट्रियता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश-केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायगी कि वह पुलिस उप-महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायगा, और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी : ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न ही देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हता

8. सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए :

पद	अर्हता
प्राध्यापक	जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा नियंत्रित राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों की परिनियमावलियों में विहित है। इस समय प्रवृत्त अर्हताएं परिशिष्ट में दी गयी हैं।

अधिमानी अर्हता

9. अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायगा, जिसने :

(क) प्रादेशिक सेवा में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(ख) राष्ट्रीय कैटेड कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो,

(ग) वाद-विवादों, संगोष्ठियों, खेल-कूद और अन्य पाठ्यानुवर्ती कार्यकलापों में उच्च स्तर की प्रवीणता प्रदर्शित की हो जिससे किसी महाविद्यालय में निवेश कार्यक्रमों में गरिमा के साथ भाग लेने की योग्यता प्रकट हो।

आयु

10. जिस वर्ष भर्ती की जानी हो, उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जायें और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जायं, प्राध्यापक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष की हो जानी चाहिये और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि किसी उपाधि महाविद्यालय के प्राचार्य के पद के लिए अभ्यर्थी की आयु 35 वर्ष की हो जानी चाहिए और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्व ारा समय-समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वे सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित रही हो :

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

शरीरिक स्वस्थता

13. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह चिकित्सापरिषद् द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा में सफल पाया जाय :

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से चिकित्सा प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायगी।

भाग पांच-भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15. (1) चयन के विचारार्थ आवेदन-पत्र आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे जो आयोग के सचिव से भुगतान करने पर, यदि कोई हो, प्राप्त किया जा सकता है।

(2) आयोग नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, साक्षात्कार के लिए उतने अभ्यर्थियों को जो अपेक्षित अर्हताएं पूरी करते हों, बुलायेगा जितने वह उचित समझे।

(3) आयोग, अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता-क्रम में, जैसा कि साक्षातर में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग उनके नाम सेवा के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता-क्रम में रखेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से ज्यादा अधिक नहीं) होगी। आयोग उक्त सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16. (1) (क) उच्चतर शिक्षा निदेशक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, योग्यता के आधार पर, एक चयन समिति के माध्यम से की जायगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

(1) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार	अध्यक्ष
(2) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, कार्मिक विभाग	सदस्य
(3) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, शिक्षा विभाग	सदस्य

(ख) प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, संयुक्त निदेशक, उच्चतर शिक्षा और महाविद्यालय विकास अधिकारी के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती योग्यता के आधार पर और प्राचार्य उपाधि महाविद्यालय के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

(1) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, कार्मिक विभाग।
(2) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग।
(3) उच्चतर शिक्षा निदेशक।

टिप्पणी :- सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, कार्मिक विभाग या सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, शिक्षा विभाग जो भी ज्येष्ठ हों वह चयन समिति का अध्यक्ष होगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, सुसंगत चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की, ज्येष्ठता-क्रम में, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग छः - नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

17. (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15 और 16 के अधीन तैयार की गयी सूची में हो।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायगा जिसमें व्यक्तियों के नाम का उल्लेख, यथास्थिति, चयन में यथा अवधारित या उस संवर्ग में, जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय, विद्यमान ज्येष्ठता-क्रम में किया जायगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी उप नियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों में नियुक्तियां कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्ति में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियां कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष की अवधि या इस नियमावली के अधीन अगला चयन किये जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, से अधिक नहीं चलेगी और यदि पद आयोग के कार्य क्षेत्र में हो तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 के विनियम 5(क) के उपबन्ध लागू होंगे।

परिवीक्षा

18. (1) किसी पद पर या सेवा में स्थायी रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा-अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय :

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा-अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायगी।

(3) यदि परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी ऐसे पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) उप नियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं, वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

स्थायीकरण

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या स्थायी रूप से की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षा-अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

19. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा, यदि :-

(क) उसका कार्य और आचरण अच्छा बताया जाय,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता

20. (1) एतद्पश्चात यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी श्रेणी के पद पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त

किये जायं तो उस क्रम से, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायगी :

परन्तु -

(क) यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायगा, और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी करने के दिनांक से होगा।

(ख) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायं तो ज्येष्ठता वही होगी जो नियम 17 के उपनियम (2) के अधीन जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित हो।

(ग) कोई प्राध्यापक जो स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा भर्ती किया गया और 5 जून, 1972 के पूर्व इस रूप में नियुक्त किया गया हो, उपाधि महाविद्यालय में नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा भर्ती किये गये और इस रूप में नियुक्त किये गये प्राध्यापक से ज्येष्ठ होगा।

(घ) किसी ऐसे अधिकारी को जो 30 नवम्बर, 1977 के पूर्व किसी उपाधि महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा भर्ती किया गया हो, सेवा की श्रेणी चार (क) में नियुक्त किया गया समझा जायगा;

(ङ) सहायक आचार्य, जब तक कि उनका ऐसे पदों पर धारणाधिकार हो, आयोग द्वारा चयनित आचार्य से निम्नतर श्रेणी में होंगे।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो आयोग द्वारा अवधारित की गयी हो :

परन्तु सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी पद का प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्ति युक्त कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारण की युक्तियुक्तता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो जिससे उनकी पदोन्नति की गयी।

भाग-सात-वेतन इत्यादि

वेतनमान

21. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिये गये हैं :-

परिवीक्षा अवधि में वेतन

पद का नाम	वेतनमान
1. उच्चतर शिक्षा निदेशक	2700-100-3000 रूपया।
2. श्रेणी दो के पद	1500-60-1800-100-2000-125/2-2500 ₹
3. श्रेणी तीन के पद	1200-50-1300-द0रो0-60-1900 रूपया।
4. श्रेणी चार के छः तक के पद	700-40-1100-50-1300-निर्धारण-50-1600 रूपया।

22. (1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हों, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की संतोष प्रद सेवा पूरी कर ली हो, जहाँ विहित हो, विभागीय परीक्षा उर्त्तीण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतन-वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा-अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिए नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिए नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा-अवधि में वेतन राज्य के कार्य-कलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

पक्ष समर्थन

23. किसी व्यक्ति को दक्षता/निर्धारण-रोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसने तत्परता पूर्वक और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया हो, उसका कार्य और आचरण सन्तोष प्रद न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग-आठ-अन्य उपबन्ध

अन्य विषयों का विनियमन

24. पद या सेवा के संबंध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

25. ऐसे विषयों के संबंध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

व्यावृत्ति

26. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्ति की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यकता समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभियुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है :

परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहां उस नियम की अपेक्षाओं से अभियुक्ति देने या उसे शिथिल करने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जायेगा।

27. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और व्यक्तियों की अन्य विविध श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
अनुभाग-5
अधिसूचना
प्रकीर्ण
20 मार्च, 2006 ई.

सं. 836/सत्तर-5/2006-49-2004

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा (समूह क) सेवा नियमावली 1985 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा (समूह-क) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2006

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1)** यह नियमावली उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा (समूह-क) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2006 कही जाएगी।

   (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. **नियम 4 का संशोधन-** उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा (समूह-क) सेवा नियमावली, 1985 में जिसे आगे उक्त नियमावली 2006 नियम 4 में दिए गए विद्यमान उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :

स्तम्भ-1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(2) सेवा में निम्नलिखित श्रेणियां और प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत निम्नलिखित पद होंगें, परन्तु राज्यपाल श्रेणियों और पदों के नाम में उपान्तर कर सकते हैं, जैसा वह उचित समझें।	(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने का आदेश न दिए जाएं, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गई है:

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

श्रेणी	पदनाम	पदों की संख्या
एक	उच्चतर शिक्षा निदेशक	1
दो	(क) प्राचार्य, स्नातकोत्तर महाविद्यालय	18
	(ख) संयुक्त निदेशक, उच्चतर शिक्षा	1
	(ग) महाविद्यालय विकास अधिकारी	1
तीन	(क) उपाधि महाविद्यालय के प्राचार्य	30
	(ख) संभागीय उच्चतर शिक्षा अधि.	2
	(ग) उप निदेशक, उच्चतर शिक्षा	1
चार	(क) आचार्य	67
	(ख) सहायक आचार्य	27
	(ग) सहायक निदेशक उच्चतर शिक्षा	2
	(घ) उपाधि विभाग के अध्यक्ष	151
पांच	(क) ज्येष्ठ प्राध्यापक	50
	(ख) सहायक उपनिदेशक, उच्च शिक्षा	2
	(ग) प्राध्यापक	900

टिप्पणी:- एतद्पश्चात आचार्य, सहायक आचार्य, उपाधि विभाग के अध्यक्ष या ज्येष्ठ प्राध्यापक के पदनाम से कोई नई नियुक्तियां नहीं की जाएगी और इन पदनामों के अन्तर्गत वर्तमान पदों को यदि उनमें रिक्तियां हो, केवल प्राध्यापकों को नियुक्त करके ही भरा जाएगा। वे व्यक्ति जो 30 नवम्बर, 1977 को इनमें से कोई पद धारित किए हों, उसी रूप में बने रहेंगे और उनका उस दिनांक को उनके द्वारा धृत पद का नाम वैयक्तिक पदनाम के रूप में बना रहेगा भले ही उनका उसी वेतनमान में किसी भिन्न पदनाम के पद पर बाद में स्थानान्तरण हो जाए। तथापि, इसमें दी गई कोई बात राज्यपाल को इन पदों में से किसी पद पर भविष्य में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में उपर्युक्त पदनामों को पुनः प्रवर्तित करने से न रोकेगी।

3. नियम 5 का प्रतिस्थापन- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिए गए विद्यमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

श्रेणी	पदनाम	पदों की संख्या
एक	उच्चतर शिक्षा निदेशक	1
दो	(क) प्राचार्य, स्नातकोत्तर महा.	23
	(ख) संयुक्त निदेशक, उ.शि.	2
तीन	(क) प्राचार्य, उपाधि महा.	94
	(ख) क्षेत्रीय उ.शि. अधिकारी	8
चार	सहायक निदेशक, उ.शि.	3
पांच	प्राध्यापक	1606

परन्तु

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं। जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
5. **भर्ती का स्रोत-** सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्त्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जाएगी:- **श्रेणी एक:-** **उच्चतर शिक्षा निदेशक:** नियम 4(2) की श्रेणी दो के सेवा के सदस्यों में से योग्यता के आधार पर विभागीय चयन समिति के माध्यम से चयन द्वारा। **श्रेणी दो:-** क) प्राचार्य, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, संयुक्त निदेशक, उच्चतर शिक्षा और महाविद्यालय विकास अधिकारी। नियम-4(2) की श्रेणी तीन में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों में से योग्यता के आधार पर विभागीय चयन समिति के माध्यम से चयन द्वारा पदोन्नति। **श्रेणी तीन:** **क) प्राचार्य, उपाधि महाविद्यालय:-** प्राचार्य, राजकीय उपाधि महाविद्यालयों के समस्त पद नियम 4(2) की श्रेणी चार में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के सिद्धान्त पर विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर पदोन्नति द्वारा भरे जाएगें। परन्तु यदि प्राचार्य पद पर पदोन्नति के लिए श्रेणी चार का कोई उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो श्रेणी पांच के और यदि श्रेणी पांच का कोई उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो श्रेणी छः के अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में विचार किया जा सकता है। **ख) संभागीय उच्चतर शिक्षा अधिकारी-** श्रेणी तीन (क) और तीन (ग) में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों में से स्थानान्तरण द्वारा। **ग) उप निदेशक, उच्चतर शिक्षा-** श्रेणी तीन (क) और तीन (ख) के अधिकारियों में से स्थानान्तरण द्वारा। **श्रेणी चार:** **क) आचार्य:** एतद्द्वारा आचार्य के पद पर कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी।	5. **भर्त्ती का स्रोत:** सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्त्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जाएगी:- **श्रेणी एक:** **उच्चतर शिक्षा निदेशक:** नियम 4(2) की श्रेणी दो में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों में से विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। **श्रेणी दो:** क) प्राचार्य, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, (एक) पचास प्रतिशत, आयोग के माध्यम से सीधी भर्त्ती द्वारा। (दो) पचास प्रतिशत नियम 4(2) की श्रेणी तीन में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों में से, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। ख) संयुक्त निदेशक, उच्चतर शिक्षा-श्रेणी दो (क) में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों में से स्थानान्तरण द्वारा। **श्रेणी तीन:** क) प्रचार्य, उपाधि महाविद्यालय (एक) पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्त्ती द्वारा। (दो) पचास प्रतिशत नियम 4(2) की श्रेणी पांच में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों में से आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। (ख) क्षेत्रीय उच्चतर शिक्षा अधिकारी- श्रेणी तीन (क) में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों में से स्थानान्तरण द्वारा। **श्रेणी चार:** सहायक निदेशक, उच्चतर शिक्षा नियम 4(2) की श्रेणी पांच के अधिकारियों में से स्थानान्तरण द्वारा परन्तु ऐसा अधिकारी राजकीय उपाधि महाविद्यालय या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में, अध्यापन का पन्द्रह वर्ष का अनुभव रखता हो। **श्रेणी पांच:** प्राध्यापक: आयोग के माध्यम से सीधी भर्त्ती द्वारा।

ख) सहायक आचार्य: एतद्पश्चात् सहायक आचार्य के पद पर कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। **ग) सहायक निदेशक, उच्चतर शिक्षा:** श्रेणी चार (क) और श्रेणी चार (ख) के अधिकारियों में से स्थानान्तरण द्वारा और जब इस नियुक्ति के लिए श्रेणी चार (क) और चार (ख) का कोई अधिकारी उपयुक्त न पाया जाए, तब श्रेणी पांच या छः के किसी अधिकारी के सम्बन्ध में विचार किया जा सकता है बशर्ते कि ऐसे अधिकारी को राजकीय उपाधि या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 15 वर्षों के अध्यापन का अनुभव हो। **श्रेणी पांच:** **उपाधि विभाग के अध्यक्ष:** एतद्पश्चात् विभाग के अध्यक्ष के पद पर कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। **श्रेणी छः** **क) ज्येष्ठ प्राध्यापक:** एतद्पश्चात् ज्येष्ठ प्राध्यापक के पद पर कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। **ख) सहायक उप निदेशक:** श्रेणी छः (क) के अधिकारियों में से स्थानान्तरण द्वारा और जब श्रेणी छः (क) के कोई उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हो तब श्रेणी छः (ग) के किसी अधिकारी के सम्बन्ध में विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसे अधिकारी को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 10 वर्ष के अध्यापन का अनुभव हो। **ग) प्राध्यापक:** आयोग के माध्यम से सीधी भर्त्ती द्वारा।	

4: नियम 6 का प्रतिस्थापन: उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान नियम 6 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा अर्थात्:

6. आरक्षण- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्त्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जाएगा।	**4. आरक्षण-** अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण समय समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 और भर्त्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

5 : नियम 5 का प्रतिस्थापन : उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गये विद्यामान नियम 8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया रख दिया जायेगा, अर्थात्:

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
8- शैक्षिक अर्हता- सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्त्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए: पद: प्राध्यापक अर्हता: जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा नियंत्रित राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों की परिनियमावलियों में विहत है इस समय प्रवृत्त अर्हताएं परिशिष्ट में दी गयी है।	**8. शैक्षिक अर्हता-** (1) प्राध्यापक के पद पर सीधी भर्त्ती के लिये अभ्यर्थी की ऐसी अर्हताएं होनी आवश्यक है जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 द्वारा शासित राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों की परिनियमावलियों में विहित है। (2) उपाधि महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर सीधी भर्त्ती के लिये अभ्यर्थी की ऐसी अर्हताएं होनी आवश्यक है जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 द्वारा शासित राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों की परिनियमावलियों में विहित है। (3) स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर सीधी भर्त्ती के लिए अभ्यर्थी की ऐसी अर्हताएं होनी आवश्यक है जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 द्वारा शासित राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों की परिनियमाविलयों में विहित है।
6- नियम 10 का प्रतिस्थापन- उक्त नियमावलियों में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 10 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-	
10- आयु- जिस वर्ष में भर्त्ती की जानी हो उसी वर्ष की पहली जनवरी को यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जाये और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जायें, प्राध्यापक के पद पर सीधी भर्त्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष की हो जानी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये, जबकि किसी उपाधि महाविद्यालय के प्राचार्य के पद के लिए अभ्यर्थी की आयु 35 वर्ष हो जानी चाहिये और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। परन्तु अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए।	**10. आयु-** प्राध्यापक के पद पर सीधी भर्त्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी के लिये रिक्तियां विज्ञापित की जाएं, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो। परन्तु अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए।
7- नियम 14 का प्रतिस्थापन - उक्त नियमावलियों में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 14 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-	

14. रिक्तियों की अवधारणा - नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान सीधी भर्त्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।	**14. रिक्तियों की अवधारणा** - नियुक्ति प्राधिकारी भर्त्ती वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियां उसको सूचित की जायेगी।

8. नियम 15 का प्रतिस्थापन - उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 15 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
15- सीधी भर्त्ती की प्रक्रिया - (1) चयन के विचारार्थ आवेदन पत्र पर आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे जो आयोग के सचिव से भुगतान करने पर यदि कोई हो, प्राप्त किया जा सकता है। (2) आयोग नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये साक्षात्कार के लिये उतने अभ्यर्थियों को जो अपेक्षित अर्हताएं पूरी करते हों बुलायेगा जितने वह उचित समझे। (3) आयोग, अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी के प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग उसके नाम सेवा के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता क्रम में रखेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक किन्तु पच्चीस प्रतिशत से ज्यादा अधिक नहीं। आयोग उक्त सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।	**15- सीधी भर्त्ती की प्रक्रिया** - (1) चयन के लिये विचारार्थ आवेदन पत्र आयोग द्वारा जारी किये गये विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आयोग द्वारा आमंत्रित किये जायेंगें। (2) आयोग नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करेगा, जो अपेक्षित अर्हताएं रखते हों, जैसा वह उचित समझे। (3) आयोग, अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंको से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग सेवा के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर उनके नामों के आधार पर उनकें नामों को श्रेष्ठता के क्रम में व्यवस्थित करेगा। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

9- नया नियम 15-क का बढ़ाया जाना - उक्त नियमावलियों में नियम 15 के पश्चात निम्नलिखित नये नियम बढ़ा दिये जायेगा, अर्थात्:-

15-क - आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्त्ती - स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य और उपाधि महाविद्यालय के प्राचार्य के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्त्ती श्रेष्ठता के आधार पर समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली 1970 के अनुसार की जायेगी।

10- नियम 16 का प्रतिस्थापन - उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 16 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
16- पदोन्नति द्वारा भर्त्ती की प्रक्रिया - (1) (क) उच्चतर शिक्षा निदेशक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्त्ती योग्यता के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगें:- 1. मुख्य सचिव, उ.प्र. सरकार — अध्यक्ष 2. सचिव, उ.प्र. सरकार कार्मिक विभाग — सदस्य 3. सचिव, उ.प्र. सरकार शिक्षा विभाग — सदस्य (ख) प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, संयुक्त निदेशक, उच्चतर शिक्षा और महाविद्यालय विकास अधिकारी के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्त्ती योग्यता के आधार पर और प्राचार्य उपाधि महाविद्यालय के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्त्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगें:- 1. सचिव, उ.प्र. सरकार, कार्मिक विभाग। 2. सचिव, उ.प्र. सरकार शिक्षा विभाग। 3. उच्चतर शिक्षा निदेशक। **टिप्पणी:-** सचिव, उत्तर प्रदे)ा सरकार, कार्मिक विभाग या सचिव उत्तर प्रदे)ा सरकार, ि)क्षा विभाग जो भी ज्यँठ हो वह चयन समिति का अध्यक्ष होगा। 2. नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की ज्यँठता क्रम में एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, सुसंगत चयन समिति के समक्ष रखेगा। 3. चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिंट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आव)यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है। 4. चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की, ज्यँठता क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।	**16- विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्त्ती की प्रक्रिया -** (1) उच्चतर शिक्षा निदेशक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्त्ती, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्त्ती के लिये मानदण्ड नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्डों के आधार पर समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिये नियमावली 1992 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी। **टिप्पणी-** चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों को प्रतिनिधित्व देने के लिये नाम निदेशन समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 7 के अधीन किये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा। 2. नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां, समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा। 3. चयन समिति, उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझें तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है। 4. चयन समिति, चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उसकी पदोन्नति की जानी है एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

11- नया नियम 16-क का बढ़ाया जाना- उक्त नियमावली में नियम 16 के पश्चात निम्नलिखित नया नियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

16-क-संयुक्त चयन सूची:- यदि भर्त्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्त्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाए तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस रीति से लेकर रखे जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

12-नियम 17 का प्रतिस्थापन- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 17 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
1- नियुक्ति - (1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15 या 16 के अधीन तैयार की गयी सूची में हो। (2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नाम का उल्लेख, यथास्थिति चयन में यथा अवधारित या उस संवर्ग में जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाए विद्यमान ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा। (3) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों में नियुक्तियां कर सकता है। यदि इस सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्ति में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियां कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष की अवधि या इस नियमावली के अधीन अगला चयन किये जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो से अधिक नहीं चलेगी और यदि पद आयोग के कार्यक्षेत्र में हो तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम 1954 के विनियम 5 (क) के उपबन्ध लागू होंगें।	**15- नियुक्ति -** (1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम, उसी क्रम में लेकर जिसमें वे यथास्थिति, नियम 15, 15-क या 16-क के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों नियुक्तियां करेगा। (2) जहां भर्त्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्त्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हो तो नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनो स्रोतों से चयन न कर लिया जाए और एक संयुक्त चयन सूची नियम 16-क के अनुसार तैयार न कर ली जाए। (3) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी यथास्थिति, चयन में अवधारित की जाए या जैसी कि उस संवर्ग में हो जिसमें से उन्हें पदोन्नत किया जा रहा है। यदि नियुक्तियां सीधी भर्त्ती और पदोन्नति दोनो द्वारा की जाए तो नामों के नियम 16-क में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रखा जायेगा।

13- नियम 18 का संशोधन- उक्त नियमावली में नियम 18 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(1) किसी पद पर या सेवा में स्थायी रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।	(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

14- नियम 19 का प्रतिस्थापन- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 19 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:-

19- स्थायीकरण - किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा यदि:- (क) उसका कार्य और आचरण अच्छा बताया जाए, (ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाए, और (ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।	**19- स्थायीकरण -** (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा, अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि:- (क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाए, (ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाए, और (ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हों जाए कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है। (2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहां उस नियमावली के नियम 5 के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण कर आदेश समझा जायेगा।

15. नियम 20 का प्रस्थिापन- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 20 के स्थान पद स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रखदिया जायेगा अर्थात्:-

20. ज्येष्ठता - (1) एतद्द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी श्रेणी के पद पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उस क्रम से, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हो, अवधारित की जायेगी, परन्तु:- (क) यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति को कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाए तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा, और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी करने के दिनांक से होगा। (ख) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाएं तो ज्येष्ठता वही होगी जो नियम 17 के उपनियम (2) के अधीन जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित हो।	**20. ज्येष्ठता -** सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्ति किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो जिससे उनकी पदोन्नति की गयी।

(ग) कोई प्राध्यापक जो स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा भर्त्ती किया गया और 5 जून, 1972 के पूर्व के रूप में नियुक्त किया गया हो, उपाधि महाविद्यालय में नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा भर्त्ती किये गये और इस रूप में नियुक्त किये गये प्राध्यापक से ज्येष्ठ होगा।

(घ) किसी ऐसे अधिकारी को जो 30 नवम्बर, 1977 के पूर्व रूपी उपाधि महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा भर्त्ती किया गया हो, सेवा की श्रेणी चार (क) में नियुक्त किया गया समझा जायेगा।

(ङ) सहायक आचार्य, जब तक कि उनका ऐसे पदों पर धारणाधिकार हो, आयोग द्वारा चयनित आचार्य से निम्नतर श्रेणी में होंगे।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों, की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो आयोग द्वारा अवधारित की गयी हो।

परन्तु सीधे भर्त्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी पद का प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारण की युक्तियुक्तता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

16- नियम 21 का प्रतिस्थापन- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 21 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:-

स्तम्भ-1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
21- वेतनमान- (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए। (2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिये गये है:-	**21- वेतनमान-** (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित किया जाए। (2) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा (समूह क) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली 2006 के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नानुसार है:-

	पद का नाम	वेतनमान ¼(₹)	पद का नाम	वेतनमान (₹)
1	उच्चतर शिक्षा निदेशक	2700-100-3000	उच्चतर शिक्षा निदेशक	18000-500-22400
2	श्रेणी दो के पद	1500-60-1800-100	श्रेणी दो के पद	16400-450-20900-500-22400
		2000-125/2-2500		
3	श्रेणी तीन के पद	1200-50-1300द.रो.60-1900	श्रेणी तीन के पद	12000-420-18300
4	श्रेणी चार से छः के पद	700-40-1100-50-1300-निर्धारण-50-1600	श्रेणी चार व पांच के पद	8000-275-13500

17- नियम 23 का निकाला जाना - उक्त नियमावली में विद्यमान नियम 23 निकाल दिया जायेगा।

आज्ञा से,
राजीव कुमार
सचिव

उत्तर प्रदेश सरकार
उच्च शिक्षा विभाग
अनुभाग-5
अधिसूचना
30 जुलाई, 2008 ई0

संख्याः 1473/70-5-2008-49/2004

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा (समूह-क) सेवा नियमावली, 1985 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः-

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा (समूह-क) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2008

1. **संक्षित नाम और प्रारम्भ-**(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा (समूह-क) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2008 कही जाएगी।

   (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. **नियम 5 का प्रतिस्थापन-** उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा (समूह-क) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1985 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
5- भर्त्ती का स्रोत- सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्त्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जाएगी- **श्रेणी एक-** उच्चतर शिक्षा निदेशक-नियम 4(2) की श्रेणी दो में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों में से, विभागीय चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा। **श्रेणी दो-(क)** प्राचार्य, स्नातकोत्तर महाविद्यालय (एक) पचास प्रतिशत, आयोग के माध्यम से सीधी भर्त्ती द्वारा।	**5- भर्त्ती का स्रोत-** सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्त्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जाएगी- **श्रेणी एक-** उच्चतर शिक्षा निदेशक-नियम 4(2) की श्रेणी दो में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों में से, विभागीय चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा। **श्रेणी दो-** (क) प्राचार्य, स्नताकोत्तर महाविद्यालय नियम 4(2) की श्रेणी तीन में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों में से विभागीय चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।